


28 /HP/2019/RO  
Date : 29/4/19  
Time : 12 : 55 PM



  
29/4/19

# नामनिर्देशन-पत्र

(लोक सभा के लिए निर्वाचन)

प्ररूप 2क  
(नियम 4 देखिए)  
नामनिर्देशन-पत्र  
लोक सभा के लिए निर्वाचन



नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... 03 गौड़डा ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में  
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।  
अभ्यर्थी का नाम ..... खन्तोप कुमार .....  
पिता/माता/पति का नाम ..... जनार्दन साह .....  
उसका डाक पता ..... ग्राम- बहौरिया पौ. अमलौ थाना- गौड़डा मु. जिला- गौड़डा .....  
उसका नाम ..... झारखण्ड 814133 ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट  
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के  
भाग सं. .... 03 गौड़डा ..... के क्रम सं. .... 17 गौड़डा ..... 184 ..... पर प्रविष्ट है।  
मेरा नाम ..... ज्ञान देव रमानी ..... है  
जो ..... 03 गौड़डा ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट  
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के  
भाग सं. .... 17 गौड़डा ..... के क्रम सं. .... 319 ..... 460 ..... पर प्रविष्ट है।  
तारीख 29.04.19 .....

ज्ञान देव रमानी  
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को  
अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....  
पिता/माता/पति का नाम .....  
उसका डाक पता .....  
NIL

उसका नाम .....  
 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र \*(में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक  
 नामावली के भाग संख्यांक ..... के क्रम संख्यांक ..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

### प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक						
क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।



### भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने ..... 4.0 ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ग) (i) या (ग) (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में ..... मुन्ग ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) ..... लागू नहीं होगा

(ii) ..... लागू नहीं होगा

(iii) ..... लागू नहीं होगा ..... हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... हिन्दी ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ..... मुन्ग ..... \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ

जो ..... मुन्ग ..... उस राज्य के ..... मुन्ग ..... (क्षेत्र) के सम्बंध में अनुसूचित ..... मुन्ग ..... \*\*\* जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 29.04.19

संतोष कुमार  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3 क  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हाँ/नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... शुभम
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... शुभम जिला (जिले) ..... शुभम राज्य (राज्यों) ..... शुभम
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था  
..... शुभम
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)  
..... शुभम
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था  
..... मायू नदी
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने/जुर्मानों की राशि उपदर्शित करें)  
..... मायू नदी
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... मायू नदी
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तिथि एवं विशिष्टियाँ ..... मायू नदी
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे  
..... मायू नदी
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं ..... मायू नदी
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -  
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... मायू नदी  
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... मायू नदी



- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ..... नहीं ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, धारित पद के ब्यौरे ..... शून्य .....
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ..... शून्य .....
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुसक्ति के अधीन हैं? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, ब्यौरे दीजिए ..... शून्य .....
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि ..... शून्य .....
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?  
 ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख ..... शून्य .....
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्तिगत हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे ..... शून्य .....
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे ..... शून्य .....
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? ..... शून्य ..... (हां/नहीं)  
 - यदि हां, निरहित की तारीख ..... शून्य .....

स्थान :

21/33A

तारीख :

29.04.19

संतोष कुमार  
 (अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)


भाग 4  
(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं. 28/HP/2019/RO

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 12.55 P.M. (बजे) 29.4.2019 (तारीख को) \*अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा  
परिदत्त किया गया। (प्रस्तावक का नाम) .....

तारीख 29.04.2019

\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

  
रिटर्निंग ऑफिसर  
03-गोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
-सह-उपायुक्त, गोडा

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है  
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख .....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) .....